



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 768]

नई दिल्ली बुधवार, नवम्बर 2, 2016 / कार्तिक 11, 1938

No. 768]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016/KARTIKA 11, 1938

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1034(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.658(अ), तारीख 4 जुलाई, 2016 को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, तीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 4 जुलाई, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया है ;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 क उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (19वाँ संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 125ग के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. ड्राइव अवे चेसिस यानों या यान विनिर्माताओं द्वारा या बाड़ी निर्माता द्वारा विनिर्मित एन दो श्रेणी और एन तीन श्रेणी के सभी यानों पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्समय भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक नीचे दी गई सारणी 1 और सारणी 2 में यथा विनिर्दिष्ट एन.आई.एस.93 (पुनरीक्षण) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे, अर्थात् :-

सारणी – 1

पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए एआईएस – 093 (पुनरीक्षण 1) के तकनीकी उपबंध

| क्र. सं. | परीक्षण/पैरामीटर की प्रकृति | एआईएस-093 के विशिष्ट खंडों की आवश्यकता (संशो.1) |
|----------|--|---|
| 1. | समग्र माप | 2.1.1 |
| 2. | कैबिन के लिए बाह्य प्रक्षेपण | 2.1.2 |
| 3. | ड्राइवर/सह-यात्री दरवाजा | 2.1.3 |
| 4. | चढ़ने की सुविधा | 2.1.4 |
| 5. | हैन्ड होल्डस | 2.1.5 |
| 6. | कैब दरवाजे पर खिड़की | 2.1.6 |
| 7. | ड्राइवर की सीट/सह-यात्री सीट | 2.1.7 |
| 8. | सेफ्टी बेल्ट एसेम्बली और एंकरेज | 2.1.8 |
| 9. | स्लीपर बर्थ | 2.1.9 |
| 10. | मडगार्ड/स्प्रे सप्रेशन यंत्र | 2.1.10 |
| 11. | ड्राइवर का कार्य क्षेत्र | 2.1.11 |
| 12. | स्टीयरिंग व्हील | 2.1.12 |
| 13. | इंस्टूमेंट पैनल का स्थान | 2.1.13 |
| 14. | नियंत्रण की स्थिति | 2.1.14 |
| 15. | भरण स्थान | 2.1.15 |
| 16. | प्रथम उपचार बॉक्स | 2.1.16 |
| 17. | ट्रक कैब संरचनात्मक क्षमता | 2.2.1 |
| 18. | फ्रंट अंडर रन प्रोटेक्टिव डिवाइस (एफयूपीडी) | 2.2.2 |
| 19. | कैब माउंटिंग की व्यवस्था और क्षमता आवश्यकताएं | 2.2.3 |
| 20. | पार्श्व टक्कर की घटना में अधिभोक्ता का संरक्षण | 2.2.4 |

| | | |
|-----|---|--------|
| 21. | लाइटिंग और सिंगलिंग उपकरणों की संस्थापन आवश्यकता (डिप्ड बीम के वर्टीकल ओरिएंटेशन को छोड़कर) | 2.2.5 |
| 22. | पश्च दृश्य मिरर | 2.2.6 |
| 23. | ड्राइवर का कार्य क्षेत्र | 2.2.7 |
| 24. | दरवाजे के ताले और कब्जे | 2.2.8 |
| 25. | ग्लिडकी | 2.2.9 |
| 26. | विंड स्क्रीन और विंड स्क्रीन वाईपिंग सिस्टम | 2.2.11 |
| 27. | अग्नि शामक | 2.2.12 |
| 28. | कैब और बॉडी में अंतराल | 3.2.2 |
| 29. | भरण स्थान/माल वाहक | 3.2.3 |
| 30. | मडगार्ड/स्ट्रे सप्रेशन यंत्र | 3.2.4 |
| 31. | भार के अंतरण की तुलना में माल वाहन पावर-ड्राइवेन वाहनों के अधिभोक्ताओं का संरक्षण | 3.4.1 |
| 32. | भारी और लंबे वाहनों की रेट्रो-रिफ्लेक्टिव मार्किंग्स | 3.4.5 |
| 33. | पार्श्व संरक्षात्मक उपकरण | 3.4.6 |
| 34. | फ्रंट अंडर रन प्रोटेक्टिव डिवाइस (एफयूपीडी) | 3.4.7 |
| 35. | आंतरिक लाइटिंग | 4.1.2 |
| 36. | रोशनी उपकरणों की स्थिति | 4.1.3 |
| 37. | ड्राइवर कैब की लाइटिंग | 4.2 |
| 38. | इलैक्ट्रिकल केबल | 4.3.1 |
| 39. | फ्यूज | 4.3.2 |
| 40. | टर्मिनल्स, कनैक्टर्स और ऐलिमेंट्स | 4.3.3 |
| 41. | सुरक्षा आवश्यकताएं | 4.4 |
| 42. | बैट्रीज़ | 4.5 |
| 43. | आधार वाहनों के लिए तकनीकी प्रावधान | 5.3 |
| 44. | क्लास लेबल्स के प्रदर्शन का तरीका और पहचान चिह्न | 5.5 |

सारणी – 2

सारणी 1 के साथ दूसरे चरण में कार्यान्वयन के लिए एआईएस – 093 (पुनरीक्षण 1) के तकनीकी उपबंध

| क्र. सं. | परीक्षण/पैरामीटर की प्रकृति | एआईएस-093 के विशिष्ट खंडों की आवश्यकता (संशो.1) |
|----------|---|---|
| 1. | ट्रक भार बॉडी का वर्गीकरण | 3.1 |
| 2. | सामान्य आवश्यकताएं | 3.2 |
| 3. | समग्र माप | 3.2.1 |
| 4. | रोप हुक्स और अन्य प्रावधान | 3.2.5 |
| 5. | कार्यकरण की स्थिरता | 3.3.1 |
| 6. | वाणिज्यिक वाहनों की बॉडी माउंटिंग अथवा भार प्लेटफार्म | 3.3.2 |
| 7. | बॉडी निर्माण आवश्यकताएं | 3.3.3 |
| 8. | भार बॉडी के संबंध में भार की सुरक्षा | 3.4.2 |
| 9. | बाह्य प्रक्षेपण | 3.4.3 |
| 10. | लाइटिंग और सिग्नेलिंग उपकरणों की संस्थापन आवश्यकता (डिप्ड बीम के वर्टीकल ओरिएंटेशन को छोड़कर) | 3.4.4 |
| 11. | बाह्य लाइटिंग | 4.1.1 |
| 12. | लैम्प एसेंबलिंग के लिए बल्बों का प्रकार | 4.1.4 |
| 13. | बॉडी के लिए तकनीकी प्रावधान | 5.4 |
| 14. | कंटेनर के आकार प्रयोजन और आकार संहिता | 6.4 |
| 15. | भार के भंडारण हेतु सिफारिशें | 6.5 |
| 16. | ट्रिवस्ट लॉक | 6.6 |
| 17. | कंटेनर सुरक्षा प्रबंधन | 6.7 |
| 18. | सब-फ्रेम और बॉडी की संबद्धता | 6.8 |
| 19. | टैंकर माउंटिंग | 6.9 |
| 20. | स्थिरता मापदंड | 7.5 |
| 21. | वाहन के प्रकार का संशोधन और अनुमोदन का विस्तार | 7.6 |

| | | |
|-----|--|--------------|
| 22. | रोल ओवर स्थिरता/टिल्ट टेबल टेस्ट प्रक्रिया | अनुलग्नक - 1 |
| 23. | पाश्व स्थिरता की गणना | अनुलग्नक - 2 |

तारीख 1 अक्तूबर, 2018 को या उसके पश्चात्, उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट यान, सारणी-1 के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट ए.आई.एस. के उपबंधों, जो उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तंभ (2) में परीक्षण मानदंड के संबंध में विनिर्दिष्ट हैं, के अनुरूप होंगे ; और तारीख 1 अक्तूबर, 2019 को या उसके पश्चात् सारणी-2 के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट ए.आई.एस. के उपबंधों, जो उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तंभ (2) में परीक्षण मानदंड के संबंध में विनिर्दिष्ट हैं, के अनुरूप होंगे।

परंतु तारीख 1 अप्रैल, 2017 से उपनियम (3) में निर्दिष्ट यानों को विनिर्माता या बाड़ी के निर्माता द्वारा केबिन के लिए वातानुकूलित प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा ।

[फा.सं.- आरटी-11028/02/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पणि:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 963(अ), तारीख 07.10.2016 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November , 2016

G.S.R. 1034(E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 658 (E), dated the 4th July, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 4th July, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (19th Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125C, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) All goods vehicles of Category N2 and of Category N3, either manufactured by a vehicle manufacturer or a body builder on drive away chassis vehicles shall, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) comply with the provisions of AIS-093 (Rev. 1)-2015, as specified in Table I and Table II below, namely:-

Table I

| Sr. No. | Test Parameters | Requirements of Specific Clauses of AIS-093 (Rev.1) |
|---------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Overall Dimensions | 2.1.1 |
| 2. | External Projections for cabin | 2.1.2 |
| 3. | Driver / Co-passenger Door | 2.1.3 |
| 4. | Climb Facility | 2.1.4 |
| 5. | Hand Holds | 2.1.5 |
| 6. | Window on Cab Door | 2.1.6 |
| 7. | Driver Seat /Co passenger seat | 2.1.7 |
| 8. | Safety Belt Assemblies and Anchorages | 2.1.8 |
| 9. | Sleeper Berth | 2.1.9 |
| 10. | Mudguards / Spray suppression devices | 2.1.10 |
| 11. | Driver Work Area | 2.1.11 |
| 12. | Steering Wheel | 2.1.12 |
| 13. | Placement of Instrument Panel | 2.1.13 |
| 14. | Position of Controls | 2.1.14 |
| 15. | Stowage Space | 2.1.15 |
| 16. | First Aid Box | 2.1.16 |
| 17. | Truck Cab Structural Strength | 2.2.1 |
| 18. | Front Under run Protective Device (FUPD) | 2.2.2 |
| 19. | Cab Mounting Arrangement and Strength Requirements | 2.2.3 |
| 20. | Protection of the Occupants in the Event of a Lateral Collision | 2.2.4 |
| 21. | Installation requirements for Lighting & Signaling devices (except for the vertical orientation of the dipped beam) | 2.2.5 |
| 22. | Rear view mirror | 2.2.6 |
| 23. | Driver's Work Area | 2.2.7 |
| 24. | Door Locks & Hinges | 2.2.8 |
| 25. | Window | 2.2.9 |
| 26. | Wind Screen and Wind Screen Wiping System | 2.2.11 |
| 27. | Fire extinguishers | 2.2.12 |
| 28. | Cab and Body gap | 3.2.2 |
| 29. | Stowage Space/ Luggage Carrier | 3.2.3 |
| 30. | Mudguards / Spray Suppression Devices | 3.2.4 |
| 31. | Protection of the Occupants of Goods-carrying Power-driven Vehicles against the Shifting of Loads | 3.4.1 |
| 32. | Retro-Reflective Markings for Heavy and Long Vehicles | 3.4.5 |
| 33. | Lateral Protective device | 3.4.6 |
| 34. | Rear Under run Protective Device (RUPD) | 3.4.7 |
| 35. | Internal Lighting | 4.1.2 |
| 36. | Position of illumination devices | 4.1.3 |

| | | |
|-----|--|-------|
| 37. | Driver Cab lighting | 4.2 |
| 38. | Electrical cables | 4.3.1 |
| 39. | Fuse | 4.3.2 |
| 40. | Terminals, Connectors and Elements | 4.3.3 |
| 41. | Safety requirements | 4.4 |
| 42. | Batteries | 4.5 |
| 43. | Technical Provisions for Base Vehicles | 5.3 |
| 44. | Manner of Display of Class Labels and Identification Marks | 5.5 |

Table II

| Sr. No. | Nature of Test / Parameters | Requirements of Specific Clauses of AIS-093 (Rev.1) |
|---------|---|---|
| 1. | Categorization of Truck Load Bodies | 3.1 |
| 2. | General Requirements | 3.2 |
| 3. | Overall Dimensions | 3.2.1 |
| 4. | Rope Hooks and other Provisions | 3.2.5 |
| 5. | Working Stability | 3.3.1 |
| 6. | Mounting of the Body or Load Platform of Commercial Vehicles | 3.3.2 |
| 7. | Body Construction requirements | 3.3.3 |
| 8. | Securing the Load on the Load body | 3.4.2 |
| 9. | External Projection | 3.4.3 |
| 10. | Installation requirements for Lighting & Signaling devices (except for the vertical orientation of the dipped beam) | 3.4.4 |
| 11. | External Lighting | 4.1.1 |
| 12. | Type of Bulbs for lamp Assemblies | 4.1.4 |
| 13. | Technical Provisions for Bodies | 5.4 |
| 14. | Container Size Designations and Sizes Codes | 6.4 |
| 15. | Recommendations for Stacking of Load | 6.5 |
| 16. | Twist Locks | 6.6 |
| 17. | Container securing arrangements | 6.7 |
| 18. | Attaching Sub-frames and Bodies | 6.8 |
| 19. | Tanker Mounting | 6.9 |
| 20. | Stability Criteria | 7.5 |
| 21. | Modification of the Vehicle Type and Extension of Approval | 7.6 |
| 22. | Roll Over Stability / Tilt Table Test Procedure | Annexure - 1 |
| 23. | Lateral Stability Calculation | Annexure - 2 |

3. The vehicles referred to in sub-rule (3) shall, on and after the 1st day of October, 2018, comply with the provisions of the AIS specified in column (3) of the Table I of the said sub-rule, in respect of the test parameters specified in the corresponding column (2) of the said table.; and on and after the 1st day of October, 2019, comply with the provisions of the AIS specified in column (3) of Table II, in respect of the test parameters specified in the corresponding column (2), of the said table:

Provided that the manufacturers or the body builder of the vehicles referred to in sub-rule (3) shall, with effect from the 1st day of April, 2017, be fitted with an air conditioning system for the cabin.

[No. RT-11028/02/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. 963 dated 07.10.2016.